HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Appeal No. 1109/2021

Gourav Khatri @ Goru S/o Chitranjan, Aged About 29 Years, R/o House No. 119/487, Agarwal Farm House Mansarovar, Jaipur P.s. Shipra Path, Jaipur At Present In Special Central Jail, Shayalwas, Dausa

----Appellant

Versus

1. State Of Rajasthan, Through P.p
2. Brajmohan S/o Rampal, Aged About 60 Years, R/o Gotam Colony, Sawaimadhopur Raj

----Respondents

<u>Connected With</u>

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 909/2021

1. Deepak @ Tanu S/o Ramswaroop, Aged About 24 Years, R/o Patel Nagar, Ranthambhore Road, Sawai Madhopur, Presently Residing At 72 Radhaswami Nagar, Muhana Road, Jaipur (Presently Confined In Sawai Madhopur Jail, Rajasthan
2. Girish @ Sethi S/o Bhagwandas Sindhi, Aged About 31 Years, R/o 1/241, Housing Board, Sawai Madhopur (Presently Confined In Sawai Madhopur Jail, Rajasthan)

----Appellants

Versus

1. State Of Rajasthan, Through P.p
2. Shri Brijmohan S/o Shri Rampal Bairwa, R/o Gautam Colony, Mantown, Sawai Madhopur

----Respondents

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 1110/2021

Kalamuddin @ Kalaam S/o Shabbir Khan, Aged About 27 Years, R/o Village Pachipalya Post Aatoon Kalan Police Station Mantown District Sawaimadhopur (Raj) (At Present Confined In District Jail Sawaimadhopur)

----Appellant

Versus

1. State Of Rajasthan, Through P.p
2. Brajmohan S/o Rampal, R/o Gotam Colony Mantown District Sawaimadhopur (Raj)

----Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. Manish Sharma Mr. Vipin Sharma Mr. Tarun Jain
For Respondent(s)	:	Mr. Ramesh Chaudhary, P.P. Mr. A.K Sharma, Sr. Adv. assisted by Mr. Rachit Sharma (through VC)

HON'BLE MR. JUSTICE DEVENDRA KACHHAWAHA

Order

30/07/2021

अधीनस्थ न्यायालय, **विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, सवाईमाधोपुर** द्वारा **पुलिस थाना, सदर गंगापुरसिटी, जिला सवाईमाधोपुर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–**32/2021** में पारित आदेश दिनांक **25.05.2021, 26.5.2021** जिसके तहत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण का जमानत आवेदन अंतर्गत धारा **439** दण्ड प्रक्रिया संहिता खारिज किया गया है, से व्यथित होकर जमानत का लाभ देने के लिये अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील पेश की गई है।

बहस सुनी गई। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण का तर्क रहा कि सह अभियुक्त आकाश सिंघी को पूर्व में इस न्यायालय द्वारा जमानत का लाभ दिया जा चुका है तथा अपीलार्थीगण पर लगाये गये आरोप सह अभियुक्त आकाश सिंघी पर लगाये गये आरोपों से समानता रखने वाले हैं। उनका यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी गौरव खत्री व अपीलार्थी कलामुद्दीन दिनांक 8.2.2021 से तथा अपीलार्थी दीपक व गिरीश दिनांक 23.2.2021 से न्यायिक अभिरक्षा में है। उनका यह भी तर्क रहा है कि प्रकरण में आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है। उनका यह भी तर्क है कि प्रकरण में चक्षुदर्शी दोनों गवाहान आकाश व इमरान ने अपीलार्थीगण के विरूद्ध कोई विशिष्ट आक्षेप नहीं लगाये गये है बल्कि सामान्य आशय के आरोप लगाये है। अपीलार्थीगण से किसी हथियार की बरामदगी नही हुई है। बरामदगी सह अभियुक्त मनीष व गौरव गुप्ता से हुई है। प्रकरण

के विचारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः अपील स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई।

योग्य लोक अभियोजक व योग्य अधिवक्ता परिवादी ने जमानत अपील का विरोध किया और तर्क दिया है कि प्रकरण में घटना में उपयोग में ली गयी फोरचुनर कार, जिसे मृतक की गाडी के आगे लगाकर उसे ब्लाक कर मृतक को बाहर निकालकर उसकी हत्या की गयी थी, अपीलार्थी कलामुद्दीन से बरामद हुई है। उनका यह भी कथन रहा है कि सह अभियुक्त आकाश सिंधी जिसे इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जमानत का लाभ दिया जा चुका है का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं था जबकि प्रार्थीगण का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में है जिससे जाहिर है कि सह अभियुक्त आकाश सिंधी व अपीलार्थीगण का प्रकरण समान नहीं है। अतः अपीलार्थीगण को जमानत की सुविधा नहीं दी जानी चाहिए।

समस्त तर्कों पर विचार किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सह अभियुक्त आकाश सिंधी के जमानत आदेश दिनांक 22.7.2021 का अवलोकन किया।

यह सही है कि अपीलार्थीगण का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट है एवं सह अभियुक्त आकाश सिंधी का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं था बल्कि पश्चातवर्ती साक्ष्य में आया था । अपीलार्थीगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा चक्षुदर्शी साक्षीगण ने अपने बयानों में ऐसा कोई विशिष्ठ आक्षेप नहीं लगाया गया है कि किस अपीलार्थी ने मृतक के साथ किस हथियार से मारपीट की गयी। अपीलार्थीगण से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है बल्कि सरिया मनीष गुर्जर से तथा लाठी गौरव गुप्ता से बरामद हुई है। सह अभियुक्त आकाश सिंधी को जमानत का लाभ दिया जा चुका है।

प्रकरण में उपलब्ध तथ्यात्मक स्थिति एवं प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए, प्रकरण के इस प्रक्रम पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत यह जमानत अपीलें स्वीकार किये जाने योग्य है।

परिणामतः अपीलार्थीगण **गौरव खत्री उर्फ गौरू, दीपक उर्फ तनु, गिरीश उर्फ सेठी एवं कलामुद्दीन उर्फ कलाम** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत अपीलें स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय, **विशिष्ठ न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, सवाईमाधोपुर** द्वारा फौजदारी जमानत आवेदन संख्या–**158/2021** में पारित आदेश दिनांक **25.5.2021,** फौजदारी जमानत आवेदन

संख्या–**157/2021** में पारित आदेश दिनांक **26.5.2021,** फौजदारी जमानत आवेदन संख्या–**156/2021** में पारित आदेश दिनांक **25.5.2021,**अपास्त किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि प्रत्येक अपीलार्थी पुलिस थाना, **सदर गंगापुरसिटी, जिला सवाईमाधोपुर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–**32/2021** के मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु पचास हजार रूपये का बन्ध–पत्र एवं पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये की दो प्रतिभूतियॉ प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

यहां यह स्पष्ट किया जाता है यदि अपीलार्थीगण द्वारा जमानत की सुविधा का दुरूपयोग किया जाता है तो परिवादी पक्ष उक्त जमानत आदेश को निरस्त कराने हेतु विधिनुसार जमानत निरस्तीकरण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने को स्वतंत्र होगा।

RAJASTHAN HIGH COURT

(DEVENDRA KACHHAWAHA),J

Murari Lal Sharma/34to36

सत्यमेव जयते